कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, डभरा जिला – सक्ती (छ.ग.)
नैक द्वारा मूल्यांकित "B" ग्रेड
E-mail : govtcollegedabharacg@gmail.com Mo:- 8959052434 www.govtcollegedabhara.in

क्रमांक 159 /स्था./2024 डभरा,दिनांक 15.07.2024

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय स्नातक महाविद्यालय,डभरा, जिला–सक्ती (छ.ग.) के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, क्रीडाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन/खेल–कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीडाधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीडा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 23.07.2024 को सायं 04:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

नोटः– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, महाविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य
शास. स्नातक महाविद्यालय डभरा
जिला सक्ती (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Degree College Dabhara
Distt.- Sakti (C.G.)

LETTERS COPY

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, डभरा जिला – सक्ती (छ.ग.)

नैक द्वारा मूल्यांकित "B" ग्रेड

E-mail : govtcollegedabharacg@gmail.com Mo:- 8959052434 www.govtcollegedabhara.in

क्रमांक 160 /स्था./2024 डभरा,दिनांक 15.07.2024

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आ.उ.शि./राज. स्था./2024, नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग " मंत्रालय" का पत्र क्रं. 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के अनुसार शासकीय स्नातक महाविद्यालय, डभरा, जिला–सक्ती (छ.ग.) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि क्रीडाधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीडा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **23.07.2024** को सायं 04:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

पदों का विवरण

क्रं.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीडाधिकारी
01.	राजनीति शास्त्र	01	–	–	–	–
02.	वनस्पति शास्त्र	–	–	01	–	–
03.	क्रीडाधिकारी	–	–	–	–	01

टीपः– संबंधित विशयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना यो स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

आवश्यक षैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीडाधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत

अतिथि षिक्षक सहायक/क्रीडा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिषत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमाः— अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीडाधिकारी एवं क्रीडा सहायक हेतु अधिकतम 62 वर्ष तक।

3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

शर्तेः—

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण—पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक **23.07.2024** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई—मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **24.07.2024** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपप्ति की तिथि **27.07.2024** तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **29.07.2024** को किया जायेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इय आषय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य षासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दषा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :—

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–50 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–50 मिनट के एक व्याख्यान के लिय	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतक)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिय	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/(40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/(30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता (प्राचार्य, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, जिला–सक्ती (छ.ग.) 495688) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालय /महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाशा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

for

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय डभरा

PRINCIPAL
Govt. Degree College Dabhara
Distt.- Sakti (C.G.)

LETTERS COPY